फा. संख्या के-11011/30/2023-सीबी-भाग (1)

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

*****

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 2024 की 6 वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की छठी बैठक 11 जुलाई , 2024 को गोवा में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-क में** दी गई है ।

2. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे की शुरुआत की।

3. **राज्य एजेंडा:**

3.1 सीईसी ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा और झारखंड की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया। पंचायतों को मजबूत करने और योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सामान्य टिप्पणियां, जैसा कि सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा दूसरी सीईसी बैठक में उल्लेख किया गया था, एमओपीआर के संयुक्त सचिव (सीबी) द्वारा दोहराई गई, जो इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई नवीन पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।
ii. राज्यों को कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।
iii. महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेगा।
iv. पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

v. राज्यों को अपने आम आदमी पार्टी में "सरपंचपति" की संस्कृति की जांच करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखांकन, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए।

vi. पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई पद्धति को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने की संभावना तलाशी जा सकती है।

vii. वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के कार्यकारी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

viii. राज्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की फीडबैक और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करेगा।

ix. राज्य को जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। 2024-25 के दौरान 100% डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाएगा।

x. राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध धनराशि के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे कर्नाटक परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल को अपनाने के लिए उसका परीक्षण करें।

xii. मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

xiii. प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होकर समापन सत्र के साथ होना चाहिए। इसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

xiv. यह देखा गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर एक्सपोजर दौरे आरजीएसए का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और एक्सपोजर दौरों के लिए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया तथा इन दौरों की योजना संरचित तरीके से बनाई जानी चाहिए। दौरे के दौरान अच्छे अभ्यासों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, क्षेत्र का दौरा किया जाना चाहिए तथा सीखे गए सबक पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए तथा अपनी पंचायतों में इसे दोहराने की संभावनाओं और रणनीति के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। योजना में प्रावधान के अनुसार ऐसे दौरों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

3.2 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव: - वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.2.1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि ने केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध उपलब्धियों, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ आरजीएसए के अन्य घटकों पर प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। विभाग द्वारा की गई पहल की सराहना की गई।

3.2.2. केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.721 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस पर विचार किया और इसे मंजूरी दी: -

(i) **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण: -** यूटी ने वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में 1994 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। हालांकि, समिति ने पाया कि राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4560 लक्षित प्रतिभागियों में से केवल 1340 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। यूटी ने क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) आयोजित करने के लिए एसआईआरडी गुजरात और हैदराबाद के संकाय पर अपनी वर्तमान निर्भरता को स्वीकार किया, जिसमें पर्याप्त स्थानीय संकाय की अनुपस्थिति का हवाला दिया गया। सीईसी ने दो जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) स्थापित करने और सीबीएंडटी पहल के लिए चार संकाय सदस्यों की भर्ती करने का सुझाव दिया, जो यूटी में सीबीएंडटी गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

(ii) **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ:** समिति ने केंद्र शासित प्रदेश को शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण और परस्पर-शिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क के लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर के दौरे के लिए यथासंभव अधिक से अधिक आपातकालीन संस्थाओं को शामिल करने की सलाह दी।

शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-I पर है** ।

3.3 गोवा: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

3.3.1 गोवा सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि ने उपलब्धियों, प्रशिक्षण अवसंरचना और मुद्रित रूप में उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री और सॉफ्ट सामग्री के साथ-साथ राज्य में विकसित शिक्षण वीडियो के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी, साथ ही आरजीएसए के अन्य घटकों की प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव पर भी चर्चा की।

3.3.2 गोवा राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.844 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस पर विचार किया और इसे मंजूरी दी: -

(i) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण: - गोवा लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (जीआईपीएआरडी) ने प्रशिक्षण मॉड्यूल में ऑडियो-विजुअल एड्स को शामिल करने की जानकारी दी, ताकि विषय वस्तु को समझना आसान हो और वांछित परिणामों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभावकारिता भी बढ़े। अध्यक्ष ने तैयार की गई सामग्री और टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। समिति ने क्रॉस स्टेट लर्निंग के लिए इन एवी एड्स सामग्रियों को साझा करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, समिति ने सर्वोत्तम प्रथाओं और क्रॉस-लर्निंग के संपर्क में आने के लिए यूटी के बाहर 1500 प्रतिभागियों को शामिल करने का भी सुझाव दिया।

(ii) प्रैक्टिस के प्रोफेसर:- राज्य ने बताया कि राज्य में विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ-साथ अच्छे संसाधन व्यक्तियों की कमी है। चूंकि कई अधिकारी गोवा में बस गए हैं, इसलिए समिति ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित अन्य सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को शामिल करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया, ताकि विभाग की प्रशिक्षण पहलों को बढ़ाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान लाने के उद्देश्य से पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में योगदान दिया जा सके।

(iii) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ: यह बताया गया कि ग्राम पंचायतों के लिए कई शोध अध्ययन किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोवा में महिलाएँ काफी सशक्त हैं और पंचायत पति की परिघटना मौजूद नहीं है, समिति ने गोवा में ऐसी प्रथा के अभाव के कारणों पर एक विशिष्ट शोध अध्ययन करने की सलाह दी। उक्त अध्ययन अन्य राज्यों को इस तरह की प्रथा को रोकने के तरीके के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में योगदान देगा।

(iv) पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) मुद्दा:- राज्य के लिए पीडीआई डेटा प्रविष्टि पिछड़ रही है और किसी भी पंचायत ने डेटा प्रविष्टि पूरी नहीं की है। समिति ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने से गोवा की ग्राम पंचायतें अपने सराहनीय कार्य के लिए मिलने वाले सम्मान से वंचित हो जाती हैं। समिति ने पीडीआई डेटा प्रविष्टि, सत्यापन और केंद्रीय लॉगिन में प्रस्तुत करने के काम को तेजी से पूरा करने का सुझाव दिया।

(v) सामुदायिक चिकित्सा विभागों द्वारा जीपीडीपी में सहायता: समिति ने प्रासंगिक एलएसडीजी विषय पर जीपीडीपी तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण में जीपी को सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के सामुदायिक चिकित्सा विभाग को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया।

(vi) विश्वविद्यालय से भर्ती:- राज्य ने आरडीपीआर विभाग में करियर बनाने में रुचि रखने वाले 12 वीं पास स्कूली स्नातकों के लिए गोवा विश्वविद्यालय के सहयोग से 4 वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है। सीईसी ने आरजीएसए के तहत विश्वविद्यालय से सीधे जुड़ाव के अवसरों का सुझाव दिया।

(vii) कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत योजना:- चूंकि गोवा में कई बड़े होटल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्बन न्यूट्रल पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए उनकी सहायता मांगी जा सकती है।

(viii) पीएम वाणी फ्रेमवर्क:- सीईसी ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए पंचायतों को पीएम वाणी फ्रेमवर्क में एकीकृत करने का सुझाव दिया, जिससे सभी पंचायतों में सार्वभौमिक वाई-फाई कवरेज सुनिश्चित हो सके।

(ix) राज्य को 15वें वित्त आयोग (एफसी) के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए 31 जुलाई तक आवश्यक लेखा परीक्षा पूरी करनी चाहिए, पंचायतों के खातों को अंतिम रूप देना चाहिए तथा अन्य सभी लंबित मामलों को सुलझाना चाहिए।

गोवा राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-II पर है** ।

3.4 **झारखंड: वार्षिक कार्य योजना 2024-25**

3.4.1 राज्य पंचायती राज विभाग के निदेशक ने राज्य में क्रियान्वित की जा रही राज्य विशिष्ट योजनाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और राज्य में मुद्रित और डिजिटल रूप में उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ राज्य में विकसित शिक्षण वीडियो के साथ-साथ आरजीएसए के अन्य घटकों की प्रगति और एएपी 2024-25 के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

3.4.2. झारखंड राज्य ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **143.50** करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 127.406 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी: -

i) यह पाया गया कि पिछले तीन वर्षों में झारखंड ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों में धीमी प्रगति दर्ज की है, क्योंकि इसमें जनशक्ति की कमी है। पिछली सीईसी बैठक में झारखंड ने बताया था कि निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। पीआरसी और पीएमयू के तहत 32 करोड़ रुपये के उनके वर्तमान प्रस्ताव को इस शर्त पर मंजूरी दी गई कि झारखंड द्वारा 45 दिनों के भीतर जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा उक्त सशर्त मंजूरी रद्द मानी जाएगी।

ii) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: - राज्य ने पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) के तहत 66200 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। हालांकि, समिति ने पाया कि राज्य ने पीडीपी के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल 9012 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। राज्य द्वारा की गई धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने केवल 33100 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण को मंजूरी दी। सीईसी को पंचायतों में विशेष रूप से पेसा क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना और 3 वर्षों के भीतर सभी ग्राम पंचायतों को संतृप्त करने की योजना सहित विभिन्न पहलों से भी अवगत कराया गया। समिति ने इनकी सराहना की।

निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ : राज्य ने 2000 प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) के प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसकी लागत 7.811 करोड़ रुपये है, यानी 5 दिनों के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 7811 रुपये। राज्य ने सूचित किया है कि MDP के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (XISS) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समिति ने इसके लिए IIT, धनबाद पर भी विचार करने का सुझाव दिया।

iv) 2023-24 के दौरान सीबीएंडटी की उपलब्धि: राज्य ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 73121 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, हालांकि, पूर्व जांच के कारण 31 मार्च, 2024 तक केवल 54056 प्रतिभागियों को ही प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर अपलोड किया जा सका। समिति ने राज्य से प्रतिभागियों के विवरण के साथ औपचारिक रूप से एमओपीआर को इसकी सूचना देने को कहा ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

v) सीएससी के माध्यम से स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) जुटाना: राज्य ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 108 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। समिति ने सीएससी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय में राजस्व साझा करने के माध्यम से ग्राम पंचायतों को लाभ प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और कम से कम एक ग्राम पंचायत को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संतृप्त करने का सुझाव दिया।

vi) राज्य विशिष्ट योजनाएँ: राज्य ने राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे पंचायत हेल्पडेस्क, जीपी सुंदरीकरण योजना आदि के बारे में जानकारी दी। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य विशिष्ट योजनाओं का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन किया जाना चाहिए तथा पंचायत ज्ञान केंद्र पर एक वृत्तचित्र फिल्म तैयार की जा सकती है। राज्यों से अनुरोध है कि वे नवीन राज्य विशिष्ट योजनाओं का विवरण पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझा करें।

vii) आईएसओ प्रमाणन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की ब्रांडिंग: - राज्य ने बताया कि केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) द्वारा आईएसओ प्रमाणन पर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और पंचायतों के आईएसओ प्रमाणन के लिए सीएससी-एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक, 3 पंचायतों को आईएसओ प्रमाणित किया गया है।

viii) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्ति के पूल के हिस्से के रूप में मुखिया : राज्य ने बताया कि मास्टर रिसोर्स पर्सन (एमआरपी) का पूल बनाने के लिए 206 मुखियाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। समिति ने एमआरपी बनाने के लिए अनूठी पद्धति अपनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

ix) झारखंड राज्य की मुखिया और सरपंच अवधारणा: - राज्य ने यह भी बताया कि मुखिया (पारंपरिक नेता) और सरपंच (निर्वाचित प्रतिनिधि) दोनों ही राज्य में अलग-अलग भूमिकाओं में सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। समिति ने राज्य की अनूठी संरचना की सराहना की और ग्राम पंचायतों में मुखिया और सरपंचों की विपरीत भूमिकाओं पर एक अध्ययन करने का सुझाव दिया।

झारखंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-III पर है**

4. अतिरिक्त एजेंडा: राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआर), भुवनेश्वर में अनुसूचित क्षेत्रों (पीईएसए) तक विस्तार के लिए राज्य कार्यक्रम निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए ओडिशा सरकार के प्रस्ताव से संबंधित केंद्रीय एजेंडा को विचार और अनुमोदन के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा गया।

4.1.1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि संविधान के भाग IX के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम या पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय रहते हैं और अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभा (ग्राम विधानसभा) को सशक्त बनाना और पारंपरिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। जबकि देश का एक बड़ा क्षेत्र पेसा अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसका कार्यान्वयन राज्यों में अलग-अलग है। ओडिशा में 30 जिलों में से 13 जिले पेसा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं (7 जिले पूरी तरह से और 6 जिले आंशिक रूप से) । इसके अलावा, 314 ब्लॉक और 6794 ग्राम पंचायत में से 118 ब्लॉक और 1926 ग्राम पंचायत राज्य के पेसा क्षेत्र में आते हैं।

4.1.2. पेसा राज्य पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना से पेसा क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे होंगे। ओडिशा राज्य ने पेसा अधिनियम के मसौदा नियम जारी किए थे और इन नियमों के बारे में विभिन्न चिंताएँ/इनपुट प्राप्त किए थे, जिनकी शीघ्रता से जाँच की जानी चाहिए। इसलिए राज्य में पेसा नियमों की शीघ्र अधिसूचना की सुविधा के लिए उपयुक्त निर्णयों के लिए चिंताओं/इनपुट की जाँच करने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखने के लिए

एक समर्पित टीम की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, पेसा केंद्र की स्थापना का उद्देश्य पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, सहभागितापूर्ण शासन को सुविधाजनक बनाना, समन्वय और सहयोग को मजबूत करना, संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

4.1.3. ओडिशा सरकार ने 44.12 लाख रुपये की वित्तीय लागत के साथ SIRD&PR, भुवनेश्वर में PESA के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्तावित किया गया था कि SPMU में प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता वाले PR और DW अधिकारियों और क्षेत्र के अनुभव वाले लोगों का मिश्रण होगा। यह SIRD&PR भवन से काम करेगा। PESA-SPMU के सुचारू प्रबंधन और उपर्युक्त अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए PR विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और SIRD&PR के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। विस्तृत प्रस्ताव **अनुबंध-IV** में है।

4.1.4. **सीईसी का निर्णय** : सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और पाया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के उद्देश्यों को अपेक्षित परिणामों के साथ-साथ अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है। समिति ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जिसमें स्पष्ट दृष्टि, अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य और विशिष्ट लक्ष्य शामिल हों।

अनुबंध- I

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश 2024-25

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**अवयव**	**पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि**
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
प्रथम	रिफ्रेशर प्रशिक्षण (462 प्रतिभागी)	0.577
द्वितीय	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (640 प्रतिभागी)	0.288
तृतीय	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (640 प्रतिभागी)	0.288
चतुर्थ	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (252 प्रतिभागी)	0.157
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**1.31**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
प्रथम	10 ग्राम पंचायतों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना	0.02
द्वितीय	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
तृतीय	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
चतुर्थ	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
पंचम	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.10
छठी	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (580)	1.015
सातवीं	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (580)	1.45
आठवीं	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक। (20)	0.025
नौवीं	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.585
	सीबीएंडटी के तहत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**3.595**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**4.905**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
प्रथम	अतिरिक्त संकाय और संचालन एवं रखरखाव पर एसपीआरसी आवर्ती लागत (10)	0.357
द्वितीय	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष) (3 डीपीआरसी के लिए)	0.09
तृतीय	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था (जिला स्तर पर प्रशिक्षण का 1%)	0.0057

क्रम सं.	अवयव	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग (आवर्ती लागत)	**0.4527**
4	**पंचायत भवन के लिए समर्थन**	
प्रथम	नई बिल्डिंग, जीपी भवन (4)	0.80
	पंचायत भवन के लिए कुल सहायता	**0.80**
5.	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**	
प्रथम	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	0.02
	पंचायतों के ई-सक्षमीकरण का उप-योग	**0.02**
6.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
प्रथम	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) (6)	0.228
द्वितीय	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) (3)	0.09
	कुल (पीएमयू)	**0.318**
	उप-योग (1 से 6)	**6.495**
7.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.129
8.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.097
	कुल योजना का आकार	**6.721**

अनुबंध- II

गोवा राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश 2024-25

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	अवयव	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
प्रथम	सामान्य अभिमुखीकरण/ (800 प्रतिभागी)	0.21
द्वितीय	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (630 प्रतिभागी)	0.0625
तृतीय	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (295 प्रतिभागी)	0.0323
चतुर्थ	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (1,410 प्रतिभागी)	0.285
पंचम	कोई अन्य प्रशिक्षण (50 प्रतिभागी)	0.025
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**0.614**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
प्रथम	24 पंचायतों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना (प्रति ब्लॉक 2 जीपी)	0.048
द्वितीय	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.05
तृतीय	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
चतुर्थ	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे	0.021
पंचम	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे	0.20
छठी	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास	0.14
सातवीं	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक।	0.015
आठवीं	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम	0.01
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**0.684**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**1.298**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
प्रथम	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.618
द्वितीय	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख/डीपीआरसी/वर्ष) (5 डीपीआरसी के लिए)	0.352
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का उप-योग (आवर्ती लागत)	**0.97**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
प्रथम	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) 8	0.264
द्वितीय	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) 24 डीपीएमयू के लिए	0.216

क्रम सं.	अवयव	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की कुल संख्या	**0.48**
	उप कुल	**2.748**
5.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.055
6.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.041
	कुल	**2.844**

अनुबंध- III

झारखंड राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश 2024-25

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	अवयव	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
प्रथम	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रवेश प्रशिक्षण (32029 प्रतिभागी)	11.469
द्वितीय	रिफ्रेशर प्रशिक्षण (30415 प्रतिभागी)	9.124
तृतीय	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (33100 प्रतिभागी)	10.080
चतुर्थ	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (26070 प्रतिभागी)	8.690
पंचम	विशेष प्रशिक्षण	8.013
छठी	कोई अन्य प्रशिक्षण	0.520
	उप-योग (सीबीएंडटी)	**47.896**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
प्रथम	360 ग्राम पंचायतों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना	0.72
द्वितीय	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन	0.10
तृतीय	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
चतुर्थ	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
पंचम	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे	3.04
छठी	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे	3.60
सातवीं	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास	1.40
आठवीं	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
नौवीं	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक।	1.875
दसवीं	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम	2.343
	सीबीएंडटी के तहत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**13.478**
	सीबीएंडटी का कुल (1+2)	**61.374**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
प्रथम	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.840
द्वितीय	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष) (24 डीपीआरसी के लिए)	4.752
तृतीय	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.0228

क्रम सं.	अवयव	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
चतुर्थ	बीपीआरसी आवर्ती लागत (264 बीपीआरसी के लिए)	11.088
पंचम	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.497
	इंस्टिट्यूट इंफ्रा का उप-योग (आवर्ती लागत)	**17.199**
4.	**पंचायतों का ई-सक्षमीकरण**	
प्रथम	2066 कंप्यूटरों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	**10.33**
	पंचायतों के ई-सक्षमीकरण का उप-योग	**10.33**
5.	**PESA क्षेत्रों में विशेष सहायता**	
प्रथम	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक हेतु मानदेय	0.072
द्वितीय	16 पेसा जिले में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय	0.576
तृतीय	135 पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय	4.05
चतुर्थ	2066/पीईएसए जीपी में 1 ग्राम सभा मोबिलाइज़र का मानदेय	9.9168
पंचम	414 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सभा अभिमुखीकरण	0.621
	पीईएसए क्षेत्रों में विशेष सहायता का उप-योग	**15.235**
7.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
प्रथम	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
द्वितीय	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) 24 डीपीएमयू के लिए	2.592
तृतीय	264 BPMUs के लिए ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन (BPMU)	12.355
	पीएमयू की कुल संख्या	**15.211**
8.	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
प्रथम	राज्य स्तर पर स्टूडियो	1.00
द्वितीय	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) 50 एसआईटी	0.75
	कुल दूरस्थ शिक्षा	**1.75**
9	**आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन**	
प्रथम	पारंपरिक शिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करना	2.00
	आर्थिक विकास का कुल योग	**2.00**
	उप कुल	**123.099**
10.	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	2.461
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.846
	कुल	**127.406**

अनुबंध-क

जुलाई, 2024 को आयोजित पुनर्गठित आरजीएसए की छठी सीईसी बैठक के प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर):

क्रम सं.	नाम	पद का नाम
1	श्री विवेक भारद्वाज	सचिव
2	डॉ. चन्द्रशेखर कुमार	अपर सचिव
3	श्री विकास आनंद	संयुक्त सचिव
4	सुश्री तनुजा ठाकुर खलखो	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
5	श्री पंकज कुमार	अपर सचिव
6	श्री सत्येन्द्र झा	परामर्शदाता
7	सुश्री स्मिता दयाल	परामर्शदाता

लाइन मंत्रालय की सूची :

क्रम सं.	नाम	पद का नाम
1	श्री यू.पी. सिंह	निदेशक, शिक्षा मंत्रालय
2	श्री धवल जाधव	सीएससी-एसपीवी, मिटी

प्रतिभागी राज्यों की सूची:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम
1	डॉ. विवेक कुमार	संयुक्त सचिव, जनसंपर्क विभाग, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
2	श्री संजय गोयल	सचिव, पीआरडी, गोवा
3	सुश्री राखीनेशाउरांव	निदेशक, पीआरडी, झारखंड
4	श्री अमित मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर, दीव
5	सुश्री टी. सिद्धि हलर्नकर	निदेशक, पीआरडी, गोवा
6	श्री संदीप दुबे	उप निदेशक, पीआरडी, झारखंड
7	सुश्री सीमा फर्नांडीस	सहायक निदेशक, एसआईआरडी, गोवा
8	सुश्री अश्विनीपेडियार	संकाय, एसआईआरडी, गोवा
9	श्री मिखिल कोष्टी,	राज्य समन्वयक, आरजीएसए
10	श्री शैलेन्द्र कुमार	परामर्शदाता, पीआरडी, झारखंड